भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 943

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (22 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अपराध

†943 एडवोकेट ए.एम. आरिफ़

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विरूद्ध अपराधों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में कई स्थानों पर लोगों को उनकी जाति के कारण सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लेने में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विगत चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध हुए अपराधों का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कानून के मौजूदा प्रावधानों पर फिर से विचार करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2021 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध/अत्याचार के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 943 दिनांक 13.12.2022

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और वेब माध्यम से सेमिनार आयोजित करता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अक्षरश: कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं।

(घ): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अनुमान क्षेत्र और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान में सक्षम बनाने के लिए, विशेष न्यायालयों एवं मुख्य रुप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देने और जहाँ तक संभव हो, आरोप पत्र दायर किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर विचारण पूर्ण करने और पीड़ितों एवं गवाहों के अधिकारों की रक्षा करने तथा निवारक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु सक्षम बनाने के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण के लिए मुख्य रुप से विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं मुख्य रुप से विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्धारण शामिल हैं। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 को लागू किया गया था | अब एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2018 से 2021 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के प्रति अपराध के तहत राज्य/संघ राज्य-वार दर्ज मामले (सीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति (अ.जा.)				अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	आंध्र प्रदेश	1836	2071	1950	2014	330	330	320	361
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1
3	असम	8	21	28	15	6	4	10	16
4	बिहार	7061	6544	7368	5842	64	97	94	103
5	छत्तीसगढ़	264	341	316	330	388	427	502	506
6	गोवा	5	3	2	4	5	2	2	5
7	गुजरात	1426	1416	1326	1201	311	321	291	341
8	हरियाणा	961	1086	1210	1628	0	1	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	130	189	251	244	1	1	3	7
10	झारखंड	537	651	666	546	224	342	347	250
11	कर्नाटक	1325	1504	1398	1673	322	327	293	361
12	केरल	887	858	846	948	138	140	130	133
13	मध्य प्रदेश	4753	5300	6899	7214	1868	1922	2401	2627
14	महाराष्ट्र	1974	2150	2569	2503	526	559	663	628
15	मणिपुर	0	0	0	0	1	2	2	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	8	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	1778	1886	2046	2327	557	576	624	676
20	पंजाब	168	166	165	200	0	1	4	0
21	राजस्थान	4607	6794	7017	7524	1095	1797	1878	2121
22	सिक्किम	5	4	0	2	1	2	0	1
23	तमिलनाडु	1413	1144	1274	1377	15	31	23	39
24	तेलंगाना	1507	1690	1959	1772	419	530	573	512
25	त्रिपुरा	1	0	2	3	0	2	2	0
26	उत्तर प्रदेश	11924	11829	12714	13146	145	36	3	4
27	उत्तराखंड	58	84	87	123	7	8	13	6
28	पश्चिम बंगाल	119	145	109	108	101	99	90	92
	कुल (राज्य)	**42747**	**45876**	**50202**	**50744**	**6524**	**7565**	**8268**	**8790**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	3	2	3
30	चंडीगढ़	1	1	3	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	1	2	1	0	3	0	0	3
32	दिल्ली	36	76	69	136	0	2	1	5
33	जम्मू और कश्मीर *	1	2	7	13	0	0	0	1
34	लद्दाख		-	0	0		-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	0
36	पुदुचेरी	7	4	9	7	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**46**	**85**	**89**	**156**	**4**	**5**	**4**	**12**
	कुल (अखिल भारत)	**42793**	**45961**	**50291**	**50900**	**6528**	**7570**	**8272**	**8802**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

$ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2019 के लिए संशोधित आंकड़े वर्ष 2021 में उपलब्ध कराए गए हैं।

अत:, वर्ष 2019 के संबंध में अ.ज.जा. के प्रति अपराध/अत्याचार के बारे में पहले प्रकाशित आंकड़ों में तुलनात्मक रूप से अंतर हो सकता है।

****